संख्या : 57/2015/934(2)/छप्पन-2015-7/2013

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 15 जुलाई, 2015

विषय :नये क्रय किये जा रहे वायुयान सुपर किंग एयर-बी-250 पर (पॉच) 05 पायलटों को यू0एस0ए0 में प्रशिक्षण दिलाये जाने के लिए अग्रिम आहरण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 267/ना0उ0वि0/आप्स-50/2015, दिनांक 05-6-2015 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नये क्रय किये जा रहे वायुयान सुपर किंग एयर-बी-250 पर पॉच पायलटों को (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी मैसर्स बीचक्राफ्ट टेक्सट्रान एविएशन विचिटा, कन्सास, यू0एस0ए0 में निम्नलिखित अवधि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना है :-

क्रमांक	पायलट	प्रशिक्षण अवधि (यात्रा दिवसों सहित)	प्रशिक्षण अवधि (यात्रा दिवसों रहित)	प्रशिक्षण स्थान
1	कै0 पंकज सिंह	17 जुलाई, 2015 से 06 अगस्त,2015 कुल 21 दिन	20 जुलाई, 2015 से 03 अगस्त,2015 कुल 15 दिन	विचिटा कन्सास, यू0एस0ए0
2	कै0 कमलेश्वर सिंह			
3	कै0 प्रज्ञेश मिश्र	14 अगस्त, 2015 से 31 अगस्त,2015 कुल 18 दिन	17 अगस्त, 2015 से 28 अगस्त,2015 कुल 12 दिन	
4	कै0 अरूण कुमार			
5	कै0 प्रवीण किशोर	18 सितम्बर, 2015 से 05 अक्टूबर, 2015 कुल 18 दिन	21 सितम्बर, 2015 से 02अक्टूबर,2015 कुल 12 दिन	

उक्तानुसार पायलटों कों तीन स्लाटों में प्रशिक्षण हेतु वायुयान किराया रूपये 6,75,000/- (रूपये छः लाख पिचहत्तर हजार मात्र), बीजा शुल्क रूपये 52,500/- (रूपये बावन हजार पॉच सौ मात्र), दैनिक भत्ता रूपये 65/- प्रति यू0एस0डालर की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) भारतीय

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुद्रा में रूपये 4,29,000/- (रूपये चार लाख उनतीस हजार मात्र), होटल किराया रूपये 65/- प्रति यू0एस0डालर की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) भारतीय मुद्रा में रूपये 4,50,450/- (रूपये चार लाख पचास हजार चार सौ पचास मात्र), लोकल यात्रा भत्ता रूपये 65/- प्रति यू0एस0डालर की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) भारतीय मुद्रा में रूपये 1,71,600/- (रूपये एक लाख इकहत्तर हजार छः सौ मात्र) इस प्रकार कुल रूपये 17,78,550/- (रूपये सत्रह लाख अठत्तर हजार पॉच सौ पचास मात्र) के व्यय के सापेक्ष वायुयान किराये, दैनिक भत्ते, होटल किराये एवं लोकल यात्रा भत्ते की मद में निहित व्यय रूपये 17,26,050/- (रूपये सत्रह लाख छब्बीस हजार पचास मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जानी है।

अतः राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 में कै0 पंकज सिंह, कै0 कमलेश्वर सिंह, कै0 प्रज्ञेश मिश्र, कै0 अरूण कुमार एवं कै0 प्रवीण किशोर, पायलटगण को पूर्वोक्त तालिका में उल्लिखित प्रशिक्षण अवधि के अनुसार निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी मैसर्स बीचक्राफ्ट टेक्सट्रान एविएशन विचिटा, कन्सास, यू0एस0ए0 में प्रशिक्षण हेतु रूपये 17,78,550/- (रूपये सत्रह लाख अठत्तर हजार पॉच सौ पचास मात्र) के व्यय के सापेक्ष रूपये 17,26,050/- (रूपये सत्रह लाख छब्बीस हजार पचास मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि रूपये 17,26,050/- (रूपये सत्रह लाख छब्बीस हजार पचास मात्र) का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

3- प्रशिक्षण हेतु विदेश यात्रा से पूर्व प्रशिक्षु पायलटगण से नियमानुसार बॉण्ड पत्र निष्पादित कराया जायेगा।

4- प्रश्नगत प्रशिक्षण के उपरान्त वायुयान किराया, लोकल यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं होटल किराया आदि से सम्बन्धित व्यय का विवरण (मूल बिल बाउचर के साथ) 15 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रश्नगत व्यय यह सुनिश्चित करने के उपरान्त किया जायेगा कि वायुयान विक्रेता कम्पनी के साथ निष्पादित अनुबन्ध में प्रश्नगत व्यय विक्रेता कम्पनी द्वारा वहन किया जाना प्राबधानित नहीं है।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : एफ0ए0-1-222-दस-2015, दिनांक 15 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

संख्या : 57/2015/934(3)/छप्पन-2015-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलटगण।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।